GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF EDUCATION DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.65 ANSWERED ON 26.07.2023

Exercise to revise text books by NCERT

65 Shri A. D. Singh:

Will the Minister of *Education* be pleased to state:

- (a) whether National Council of Educational Research and Training (NCERT) has omitted and added many chapters in the text books as a part of its rationalization exercise;
- (b) the rationale behind it;
- (c) whether it is being done on the recommendations of any Committee; and
- (d) if so, the composition and the mandate of the Committee?

ANSWER MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 65 ANSWERED ON 26.07.2023 ASKED BY SHRI A. D. SINGH, HON'BLE MP REGARDING 'EXERCISE TO REVISE TEXT BOOKS BY NCERT'.

- (a) The National Council of Educational Research and Training (NCERT) has informed that rationalization of NCERT textbooks was done in 2021. During this process only a few chapters, either fully or partially, as per the suggestions of experts were omitted. However, not a single chapter was added because the purpose was to reduce the content load.
- (b) Due to the COVID- 19 pandemic situation, students across all the stages of school education have faced considerable challenges to continue their learning through online and other modes. In the normal course of things, concerns related to curriculum load including the content load and textbooks, are raised from different corners. In addition, the Parliamentary Standing Committee too has raised concerns about the content overload in the textbooks. In order to facilitate speedy recovery from the learning losses, in their learning continuum and compensate for the time loss, NCERT took steps towards the rationalization of textbooks across the stages and subject areas.
- (c) & (d) Committees comprising 8- 10 experts in the respective area were constituted for rationalising the content in different subjects across classes. These committees comprising of NCERT faculty members, in consultation with practising teachers from Central Board of Secondary Education (CBSE) and experts, analysed the textbooks across subjects and classes for rationalising the content. Specific criteria were also developed for the rationalisation of content load, which is given below:
 - i. Overlapping with similar content included in other subject areas in the same class.
 - ii. Similar content included in the lower or higher class in same subject.
 - iii. High difficulty level.
 - iv. Content, which is easily accessible to children and does not require much intervention from the teachers and can be learned through self-learning or peer-learning.
 - v. Content, which is not relevant in the present context or outdated.
 - vi. Learning outcomes already developed across the classes are taken care of in this rationalization exercise.

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-65 उत्तर देने की तारीख-26.07.2023

एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने की कवायद

65 श्री ए. डी. सिंहः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने पाठ्य पुस्तकों को युक्तिसंगत बनाने की अपनी कवायद के रूप में पुस्तकों में से कई अध्यायों को हटा दिया है और उनमें कई अध्यायों को शामिल किया है;
- (ख) इस कवायद का क्या औचित्य है;
- (ग) क्या ऐसा किसी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा रहा है; और
- (घ) यदि हाँ, तो इस समिति की संरचना और अधिदेश का ब्यौरा क्या है?

उत्तर शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **** माननीय संसद सदस्य श्री ए. डी. सिंह द्वारा 'एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने की कवायद' के संबंध में दिनांक 26.07.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 65 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

- (ख) कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से अपनी शिक्षा जारी रखने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सामान्य स्थिति में, विभिन्न भागों से सामग्री भार और पाठ्यपुस्तकों सिहत पाठ्यक्रम के भार से संबंधित चिन्ताएं व्यक्त की गयी हैं। इसके अतिरिक्त, संसदीय स्थायी सिमिति ने भी पाठ्यपुस्तकों में सामग्री के अधिभार को लेकर चिंता व्यक्त की है। शिक्षा की निरंतरता में हुई अधिगम हानि से शीघ्र उबरने के लिए और समय के नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए, एनसीईआरटी ने सभी स्तरों और विषय क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकों को युक्तिसंगत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।
- (ग) और (घ) विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों की सामग्री को युक्तिसंगत बनाने के लिए संबंधित क्षेत्र के 8-10 विशेषज्ञों की समितियां गठित की गईं। एनसीईआरटी संकाय सदस्यों की इन समितियों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पेशेवर शिक्षकों और विशेषज्ञों के परामर्श से सामग्री को युक्तिसंगत बनाने के लिए सभी विषयों और कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया। सामग्री भार को युक्तिसंगत बनाने के लिए विशिष्ट मानदंड भी तैयार किए गए, जो इस प्रकार हैं:
 - i. एक ही कक्षा में अन्य विषय क्षेत्रों में शामिल की गई वैसी ही सामग्री के साथ ओवरलैपिंग।
- ii. निम्न या उच्च कक्षा में एक ही विषय में एक ही तरह की सामग्री रखना।
- iii. उच्च कठिनाई स्तर।
 - iv. ऐसी सामग्री, जो बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हो और जिसमें शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो और जिसे स्व-शिक्षा या सहपाठी-अधिगम के माध्यम से सीखा जा सके।
 - ∨. ऐसी सामग्री, जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है या पुरानी हो चुकी है।
- vi. इस युक्तिकरण कवायद में कक्षाओं में पहले से ही विकसित अधिगम परिणामों का ध्यान रखा गया है।

⁽क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सूचित किया है कि वर्ष 2021 में एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों का युक्तिकरण किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार, केवल कुछ अध्याय पूर्ण या आंशिक रूप से हटाए गए थे। तथापि, कोई भी अध्याय जोड़ा नहीं गया था क्योंकि इसका उद्देश्य सामग्री के भार को कम करना था।

SHRI A.D. SINGH: Mr. Chairman, the point is that I can only ask my supplementary... ... (Interruptions)..*

MR. CHAIRMAN: It will not go on record. ...(Interruptions).. It cannot go on record. ...(Interruptions).. Hon. Minister.

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Sir, the answer is laid on the Table of the House. ...(Interruptions).. He is asking about something else. ...(Interruptions).. He is talking about Manipur. ...(Interruptions).. He has not asked any question.

MR.CHAIRMAN: Question no.66.

^{*} Not recorded